CAPE TOWN ASSOCIATION OF APARTMENTS OWNERS

[Registration Number: GBN/03245/2019-2020]

PLOT 01/A, SECTOR 74, NOIDA, DISTT- GAUTAMBUDHNAGAR, U.P.-201301

नोटिस

दिनाँक: 10.12.2022

प्रिय केपटाउन निवासियों नमस्कार।

आपको अवगत कराना है कि केप टाउन ए ओ ए के चुनाव के सम्बन्ध में उप निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट मेरठ ने अपने आदेश पत्रांक 2348 II - 1- एम/ जी बी एन/ 0013891/ मेरठ दिनाँक 07.09.2022 के माध्यम से श्री ए के सिंह उप महा प्रबंधक YEIDA को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।

निर्वाचन प्रक्रिया को शुरु करते हुए निर्वाचन अधिकारी श्री ए के सिंह ने अपने पत्रांक: निर्वाचन अधिकारी / 2022-23/19 दिनाँक 25.11.2022 (जो कि साथ में संलग्न है) के द्वारा 6 सदस्यीय चुनाव समिति चयन हेतु केपटाउन AOA अध्यक्ष को फ्लैट ओनर्स से नामांकन आमंत्रित करने को कहा है।

अतः उ० प्र० अपार्टमेंट एक्ट के बॉयलाज के अनुसार सभी पात्र इच्छुक फ्लैट ओनर्स से चुनाव समिति हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं।

पात्र इच्छुक फ्लैट ओनर्स, सचिव केपटाउन AOA को संबोधित, सादा काग़ज़ पर लिखी ऐप्लिकेशन में अपना नाम, फ्लैट संख्या, मोबाइल नंबर के विवरण और आधार कार्ड की प्रति के साथ दिनाँक 17.12.2022 तक केपटाउन AOA कार्यालय के बाहर लगी सुझाव पेटी में जमा कर दें।

चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्रता संबंधी शर्तों की जानकारी हेतु निर्वाचन अधिकारी श्री ए के सिंह द्वारा पूर्व में जारी पत्रांक: निर्वाचन अधिकारी / 2022-23/14 दिनाँक 20.09.2022 से सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि साथ में संलग्न है।

धन्यवाद।

For Capetown Association of Apartments Owners
(Regn Number: GBN/03245/2019-2020)

(Krishna Kumar Sharma)
(Secretary)
(M):+91-98913-15949

प्रतिलिपि:
जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर
उपायुक्त पुलिस गौतमबुद्ध नगर
उप निबंधक फर्म सोसायटी एवं चिट मेरठ
श्री ए के सिंह DGM YEIDA
अध्यक्ष FONRWA

संस्था/एसोसिएशन केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स
प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक : निर्वाचन अधिकारी/2022–23/19 दिनांक 25/11/2022

प्रेषक,

निवार्चन अधिकारी
(डी0जी0एम0, यीडा)
ग्रेटर नोएडा।

सेवा में,

कार्यकारी अध्यक्ष
केप्टाउन प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74,
गौतमबुद्धनगर–201303।

विषयः–संस्था/एसोसिएशन केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74, के ए0ओ0ए0 के चुनाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में डिप्टी रजिसट्रार फर्म्स, सोसाईटी एवं चिट्स विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2348। 1–एम/जीबीएन/0013891/मेरठ/दिनांक 07.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को **केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74,** में निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त आदेश के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत मेरे द्वारा निर्वाचन की प्रकिया प्रारम्भ की जानी है। इस हेतु प्रथम चरण में वहां के बायलॉज में निर्धारित नियमों के कम में निर्वाचन की प्रकिया करायी जाएगी। यह निर्वाचन 06 सदस्यी समिति की देख–रेख में कराया जाएगा। इस समिति के सदस्य हेतु कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सूचा बोर्ड पर यह सूचना चस्पा करा दिया जाए कि जो भी फ्लैट आनर्स समिति का सदस्य बनना चाहता हो वह अपना नाम, आधार कार्ड, फ्लैट संख्या एवं मोबाईल नम्बर के साथ **एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स** के कार्यालय मे 07 दिवसों में उपलब्ध करायें। इसी के साथ–साथ कार्यकारी अध्यक्ष एवं इस प्रकरण में शिकायतकर्ता एवं वादी द्वारा भी अपने–अपने स्तर से 05–05 सदस्यों का नाम की सूची उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सभी प्राप्त सूचियों में से 06 सदस्यी समिति का गठन अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा, जिसके उपरान्त यह समित मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन/संवर्धन का कार्य करेगी तथा समिति गठन के 15 दिन के अंदर संशोधित मतदाता सूची अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष निर्वाचन हेतु प्रस्तुत की जाएगी, जिसके उपरान्त चुनाव की तिथियों की घोषणा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी।

निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. डिप्टी पुलिस कमिशनर, मुख्यालय, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3. डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ को सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष, फैडरेशन ऑफ नोएडा रेजीडेन्ट्स वैलफेयर एसोसियेशन, ए–111, सेक्टर–52–201307, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।

निर्वाचन अधिकारी

Scanned with CamScanner

संस्था/एसोसिएशन केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक : निर्वाचन अधिकारी/2022–23/14 दिनांक 20/09/2022

निर्वाचन सूचना (संशोधित सूचना)

केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74, के ए0ओ0ए0 के चुनाव के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–निर्वाचन अधिकारी/2022–23/09 दिनांक 16.09.2022 द्वारा निर्वाचन की सूचना जारी की गयी थी, जिसमें एसोसिएशन की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सदस्यता शुल्क जमा किए जाने के निर्देश दिए गए थें। इस सूचना को इसी स्तर तक संशोधित समझा जाए।

1. सदस्यता शुल्क संस्था/एसोसिएशन केप्टाउन एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74 के बाईलॉज के नियम संख्या–04 एवं 39 निम्नानुसार है:–

4. Mambers of Association-

1) All persons who ave purchased apartment in Cape Town Association Owners condominium and exeecuted a deed of apartment, shall automatically be the member of the Association and will pay the entrance fee of Rs. 1000/- (One thousand rupees). Each apartment owner shall receive a copy of the Bye-Laws.

2) Upon the sale , bequest or transfer of apartment, the purchaser of the apartment or the gurantee or legate or the transfer shall automatically become the member of the Association and shall be admitted as member on payment of the entrance fee of Rs. 1000/- (One thousand rupees).

39. Transfer of An Apartment-

The transfer of apartment shall be made by a rejisterd deed of an apartment. The transferor shall produce "no dues certificate" from the association of the apartment owner at the of the transfer of the apartment. Provided that if the certificate is not granted and its refusal is not communication within 15 days after receipt of the application for its grant, it shall be deemed that the No Dues Certificate has been guranted by the association. Provided further that the transferor of an apartment owner shall pay ½ percent of the transfer value to the association for transferring his apartment to his prospective buyer an such amount shall be kept in a fund by the association being used in future for the major repair of the Building.

उपरोक्त शर्तो को पूर्ण करने वाले भवन स्वामी/फ्लैट स्वामी बिल्डर/एसोसिएशन के कार्यालय से सदस्यता फार्म प्राप्त कर भरने के उपरान्त ही सदस्यता शुल्क जमा कराएगा। अन्यथा कि स्थिति में सदस्यता मान्य नहीं होगी।

उक्त आदेश को इसी स्तर तक संशोधित समझा जाए।

निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि:–

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।
2. डिप्टी पुलिस कमिशनर, मुख्यालय, सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।
3. डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स विकास विहार, मोहनपुरी, मेरठ को सूचनार्थ।
4. कालातीत/कार्यरत अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष, केपटाउन, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट आनर्स प्लाट संख्या–01/ए, सेक्टर–74, को सूचनार्थ।

निर्वाचन अधिकारी